	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 28, शुक्रवार, *शाके* 1943–जून 18, 2021 *Jyaistha 28, Friday, Saka 1943- June 18, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 18, 2021

जी.एस.आर.286 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ.स.33(5) गृह-9/2005 पार्ट-2 दिनांक 17-08-2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

[एफ.सं.33(5)गृह-9/2005 पार्ट-2]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 17, 2020

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.**- राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006, जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नियम 5 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(i) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) किसी भी एजेंसी, भागीदारी फर्म या कंपनी जिसके नाम में ऐसे शब्द जैसे गुप्तचर, अन्वेषण, निगरानी, आसूचना, परिप्रश्न, सुविधा, श्रम प्रदायकर्ता इत्यादि सम्मिलित हैं, को अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी।"

4. **नियम 7 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(i) उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-नियम (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" जहां कही भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. **नियम 13 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 13 के खण्ड (V) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. **प्ररूप 2 का संशोधन.**- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 2 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति **"पुलिस अधीक्षक"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त"** प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति **"जिला पुलिस अधीक्षक"** के स्थान पर **"पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. **प्ररूप 5 का संशोधन.**- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 5 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति **"पुलिस अधीक्षक जिला....."** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"पुलिस अधीक्षक जिला...../पुलिस उपायुक्त....."** प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.सं.33(5)गृह-9/2005 पार्ट-2]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

रोहित कुमार सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।